



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

तृतीय तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर-27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन-492015 (छत्तीसगढ़)
दूरभाष-0771-2511287, फ़ैक्स-0771-2511288, ई-मेल: office.mdnrhm@gmail.com



पत्र क्र./NHM/HR/2022/NS-29/1687

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/07/2022

// दस्तावेज परीक्षण हेतु सूचना एवं दिशा-निर्देश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के तहत प्रदेश के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई अंतर्गत स्टॉफ नर्स-SNCU के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन की कण्डिका 3.6.6 के नियमानुसार शासकीय संस्था के SNCU से अनुभव रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों का दिनांक 26 एवं 27 मई, 2022 एवं 10 जून 2022 को दस्तावेज परीक्षण का आयोजन किया गया था।

उक्त दस्तावेज परीक्षण के उपरांत स्टॉफ नर्स-SNCU के शेष रिक्त पदों पर नियमानुसार शेष अन्य अभ्यर्थियों को पदस्थापना दिये जाने हेतु शेष रिक्त पदों के 1:1.5 गुना अभ्यर्थियों की सूची जिलेवार, संभागवार व संयुक्त सूची वर्गवार मेरिटक्रम में विभागीय वेबसाइट में अपलोड की जा रही है। सूची अनुसार अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण किया जाना है जिस हेतु पृथक से तिथिवार पात्र अभ्यर्थियों की सूची भी विभागीय वेबसाइट में अपलोड की जारी की जा रही है। अभ्यर्थी उक्त सूची अनुसार राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, सेक्टर-27, नवा रायपुर, अटल नगर में निम्नांकित तिथि व समय में दस्तावेज परीक्षण हेतु उपस्थित हो सकते हैं -

क्र.	दस्तावेज परीक्षण तिथि	पाली	समय	अभ्यर्थियों की संख्या
1	25/07/2022	प्रथम	10:00am से 01:30pm बजे	27
2	25/07/2022	द्वितीय	02:00am से 05:00pm बजे	26
3	26/07/2022	प्रथम	10:00am से 01:30pm बजे	26
4	26/07/2022	द्वितीय	02:00am से 05:00pm बजे	26

नोट - अभ्यर्थी तिथिवार सूची का अवलोकन कर निर्धारित समय में ही दस्तावेज परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे समय से पूर्व अभ्यर्थियों को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

उपरोक्त तिथियों में दस्तावेज परीक्षण उपरांत रिक्त पदों के विरुद्ध विज्ञापन के नियमानुसार मेरिट के आधार पर पदस्थापना दी जावेगी तथा शेष अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में रहेंगे नियमानुसार भविष्य में किसी अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण न करने अथवा पद से त्याग पत्र दिये जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को पदस्थापना दी जा सकेगी।

4

क्रमशः 02

दस्तावेज परीक्षण हेतु दिशा-निर्देश :-

01. अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण में पंजीयन के लिये प्रथम पाली हेतु प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली हेतु अपरान्ह 02:00 से 03:00 बजे राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, सेक्टर-27, नवा रायपुर, अटल नगर में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
02. पंजीयन उपरांत अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण किया जावेगा जिसमें अभ्यर्थी को निम्नांकित मूल दस्तावेजों के साथ एक सेट छायाप्रति स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-
 - स्टॉफ नर्स-SNCU हेतु आवेदित ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति।
 - 10वीं परीक्षा की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र।
 - बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/जी.एन.एम. परीक्षा उत्तीर्ण के समस्त वर्षों की अंकसूची (उत्तीर्ण, पूरक व ATKT की अंकसूची भी साथ लायेंगे)।
 - संबंधित डिग्री सर्टिफिकेट।
 - संबंधित नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
 - शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के SNCU में कार्यरत अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश की प्रति।
 - सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र।
 - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)।
 - कोई भी एक पहचान पत्र। (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./पेन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता, फोटो हो)
 - अनुभव प्रमाण-पत्र।
 - अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)।
 - वर्तमान का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो एक नग।
 - अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो)।
03. अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार उन्हें पात्र किया गया है। अतः भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा भर्ती के उपरांत भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी असत्य/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/छुपायी गयी है, तो ऐसी दशा में संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। इस संबंध में मिशन संचालक का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
04. संबंधित जिले के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उसी जिले के मूल निवासियों को प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी, संबंधित जिले में पात्र अभ्यर्थी नहीं पाये जाने की स्थिति में संबंधित संभाग अंतर्गत अन्य जिलों के पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार द्वितीय प्राथमिकता दी जावेगी। यदि संबंधित संभाग में भी पात्र अभ्यर्थी नहीं पाये जाते हैं तो रिक्त पदों की पूर्ति छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से की जावेगी। अर्थात् अभ्यर्थियों को अन्य जिले में पदस्थापना दी जा सकती है।
05. अभ्यर्थी दस्तावेज परीक्षण में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वे प्रतिनिधि के रूप में अपने संबंधी/रिश्तेदार को दस्तावेज परीक्षण के लिये नामित कर सकते हैं, इस हेतु लिखित आवेदन विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नामित व्यक्ति को संबंधित अभ्यर्थी का निर्धारित समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति एवं छायाप्रति (01 सेट) के साथ दस्तावेज परीक्षण में उपस्थित होना होगा।

